फर्द अहकाम

कार्यालय / न्यायालय – **अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर**

प्रार्थी:–**श्रीमान उप वनसंरक्षक उदयपुर वन** बनाम:– **ग्राम पंचायत पण्डयावाडा व अन्य**

किस्म मुकदमा :– **14(4) आ.नि.** पत्रावली संख्या :– 7 वर्ष :– 2024

क्र.स.	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
28.06.2024	प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी **श्री उपवनसंरक्षक उदयपुर वन जरिये प्रभारी अधिकारी श्री खेमराज मीणा क्षेत्रीय वन अधिकारी सराडा** द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध प्रभारी अधिकारी जिला रसद अधिकारी के आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन दिनांक 09.01.2002 आदेश (केम्प पण्डयावाडा) के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण में आज क्षैत्राधिकार के बिन्दु पर प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी का तर्क है कि वन विभाग की भूमि थी जिसको अभियान के दौरान प्रभारी अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश कमांक राजस्व/15/2001 दिनांक 09.01.2002 से ग्राम पण्डयावाडा तहसील खेरवाडा की सिवायचक भूमि कुल किता 3 रकबा 0.49 है. भूमि ग्राम पंचायत पण्डयावाडा को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन कर दी गई। जबकि उक्त भूमि वन विभाग की होकर हमारा हक अधिकार चला आ रहा है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त कराने हेतु न्यायालय में आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होने से सुनवाई की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अध्ययन किया। अभियान के दौरान प्रभारी अधिकारी जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश कमांक राजस्व/ 15/2001 दिनांक 09.01.2002 से ग्राम पण्डयावाडा तहसील खेरवाडा की सिवायचक भूमि कुल किता 3 रकबा 0.49 है. भूमि ग्राम पंचायत पण्डयावाडा को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन की गई है। चूंकि अधीनस्थ कार्यालय द्वारा अभियान के दौरान आबादी विस्तार हेतु भूमि ग्राम पंचायत को निःशूल्क आवंटन की गई है। उक्त भूमि आवंटन की कार्यवाही भू.राजस्व अधिनियम की धारा 92 के तहत कार्यवाही की गई। उक्त अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही के विरूद्ध अपील सुनने का श्रवणाधिकारी न्यायालय हाजा को नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थना पत्र निगरानी का इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दाद प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया। (दीपेन्द्र सिंह राठौर) अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर	